न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 166/2022 **दायर दिनांकः 26.12.2022**

उनवान

1. कैलाशचन्द पि. रामसिंह जाति धाकड़ नि. कादरनगर तहसील सुनेल
2. घनश्याम पि. रामसिंह जाति धाकड नि. कादरनगर तहसील सुनेल
3. तेजराम पि. रामसिंह जाति धाकड़ नि. कादरनगर तहसील सुनेल
4. पप्पूलाल पि. रामसिंह जाति धाकड़ नि. कादरनगर तहसील सुनेल

— वादीगण

बनाम

1. राजाराम पि. गोवरधनलाल जाति धाकड़ नि. कादरनगर तहसील सुनेल
2. गोपाल पि. गोवरधनलाल जाति धाकड़ नि. कादरनगर तहसील सुनेल
3. तूफानसिंह पि. गोवरधनलाल जाति धाकड़ नि. कादरनगर तहसील सुनेल
4. झमकूबाई पुत्री गोवरधनलाल जाति धाकड़ नि. कादरनगर तहसील सुनेल
5. कन्याबाई पुत्री गोरधनलाल जाति धाकड नि. कादरनगर तहसील सुनेल
6. गंगाबाई पत्नी गोरधनलाल जाति धाकड़ नि. कादरनगर तहसील सुनेल
7. शान्तिबाई पुत्री भेरूलाल जाति धाकड़ नि. कादरनगर तहसील सुनेल
8. कनीराम पि. भेरूलाल जाति धाकड नि. कादरनगर तहसील सुनेल
9. पानबाई पत्नी भूणीराम जाति धाकड़ नि. कादरनगर तहसील सुनेल
10. भूणीराम पि. कनीराम जाति धाकड़ नि. कादरनगर तहसील सुनेल
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल

—प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

दावा अन्तर्गत धारा 188, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक —

अभिभाषक वादीगण — श्री महेन्द्रसिंह जैन

प्रतिवादी सं. 1 से 10 — एकतरफा

निर्णय **दिनांक : 23.04.2025**

हस्तगत प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ... कादरनगर तहसील सुनेल की आराजी खाता संख्या नया 26 पुरानी 21... नं. 251 रकबा 0.2276 हे0, आराजी स्थित है। नकल जमाबंदी 2075—2078 पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:54:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(ब) यह कि ग्राम कादरनगर पह. उन्हेल तह सुनेल की आराजी खाता संख्या नया 29 पुराना 176 खसरा नं 534/251 रकबा 0.6703 हे०, आराजी स्थित है। नकल जमाबंदी 2075–2078 पेश है। यह कि वाद के पेरा नं. 1 में वर्णित आराजी वादीगण के शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। इससे लगी खसरा नं. 627/251 सरकारी गैर मुमकिन रास्ता है। उसके बाद अप्रार्थीगण 1 लगायत 10 की खातेदारी की भूमि है। जिसके सम्बन्ध में नकल जमाबंदी व नक्शा प्रस्तुत है। यह कि वादीगण के खाते की आराजी खसरा नं. 251 व 534/251 की पूर्व में पैमाईश होकर वादीगण ने रास्ते की तरफ तारखम्भे लगा रखे थे। गैर मुमकिन सरकारी रास्ता भूमि खसरा नं. 627/251 लगभग 15–20 फिट चौड़ा हमेशा से रहा है। अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर रास्ते की भूमि को अपने खेतों में मिला लिया तथा प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि में होकर रास्ता निकालना चाहते है। जिसका की उन्हे कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण राजनीतिक प्रभाव वाले ताकतवर लोग हैं। जो रेवेन्यु कर्मचारी एवं प्रशासन से मिलकर वादीगण की भूमि में होकर रास्ता निकालना चाहते है। जिसका की उन्हे कोई अधिकार नहीं है। जबकि मौके पर सरकारी भूमि रास्ता खसरा नं. 627/251 मौजूद है। यह कि दिनांक 21.12.2022 को प्रतिवादीगण तहसीलदार व पुलिस प्रशासन के साथ मौके पर आए और प्रतिवादीगण ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर वादीगण के तारखम्भे तोड़ दिये और वादीगण की भूमि मे होकर रास्ता निकालने की धमकी दी प्रतिवादीगण जोर जबरदस्ती व ताकत के बल पर वादीगण की भूमि में अतिक्रमण कर जबरन रास्ता निकालने पर आमादा है। जिस कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक है। यह कि प्रतिवादीगण ने सरकारी रास्ता भूमि पर अतिक्रमण कर अपने खेतों में मिला रखी है। यदि प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि में होकर रास्ता निकालने में सफल हो गये तो वादीगण के हक व अधिकारों को क्षति पंहुचेगी तथा ऐसी क्षति होगी जिसकी पूर्ति द्रव्य में नहीं हो सकेगी। प्रतिवादीगण का उद्देश्य वादीगण को नुकसान पंहुचाने का रहा है। वादीगण काश्तकार है। वादीगण की भूमि रास्ते में चली जाने से वादीगण को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। वादीगण का प्रथमदृष्टा ठोस प्रकरण है। यह कि प्रतिवादी नं.

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:54:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

11 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल द्वारा गलत तथ्यों पर बिना मौके की तहकीकात किये गलत तौर पर वादीगण को धारा 91 का नोटिस थमा दिया उक्त कार्यवाही प्रतिवादीगण के प्रभाव में आकर अमल में लाई गई। राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल को भूमिधारी होने की वजह से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। यह कि वाद कारण दिनांक 21.12.2022 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण तहसीलदार व पुलिस प्रशासन के साथ मौके पर आए और प्रतिवादीगण ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर वादीगण के तारखम्भे तोड़ दिये और वादीगण की भूमि में होकर रास्ता निकालने की धमकी दी। यह कि वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होकर उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। यह कि वाद प्रस्तुत कर वादी दावा करते है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्नानुसार डिक्री किया जायें –

(अ) प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावंद किया जावें कि वें ग्राम कादरनगर प.ह. उन्हेल तह. सुनेल की आराजी खाता संख्या नया 26 पुराना 215 खसरा नं.251 रकबा 0.2276 हे०, तथा खाता संख्या नया 29 पुराना 176 खसरा नं.534/251 रकबा 0.6703 हे०, में होकर रास्ता नहीं निकाले वादीगण की उक्त भूमि पर बेजामदाखलत बेजामजाहमद नहीं करे। (ब) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो वादीगण के पक्ष में हो प्रदान की जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया परन्तु प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं होने से मुताबिक आदेशिका दिनांक 03.07.2024 प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

3. वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम कादर नगर का खाता सं. 26, 29, 80, 177, 1 की जमाबंदी सं. 2073–76 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–1 से 5, खसरा नक्शा दिनांक 21.12.2022 पेश किये एवं साक्ष्यवादी में घनश्याम पि. रामसिंह, तेजराम पि. रामसिंह, उदयराम पि. नाथूलाल व डालूराम पि. पूरीलाल के PW-1 To 4 के शपथ/बयान कराये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:54:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

4. अभिभाषक वादीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण ग्राम कादर नगर की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 251 रकबा 0.2276 है., ख.नं. 534/251 रकबा 0.6703 है. के रिकार्डड खातेदार कृषक है जबकि प्रतिवादीगण ख.नं. 379, 378 व 377 के रिकार्डड कृषक है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की आराजी के मध्य उत्तर से दक्षिण की ओर सरकारी रास्ता ख.नं. 627/251 रकबा 0.1770 है. स्थित है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त सरकारी रास्ते पर कब्जा कर अपनी भूमि ख.नं. 377, 378 व 379 में मिलाकर रास्ते फेंसिंग कर दी है और अब वादीगण की भूमि ख.नं. 251 व 534/251 से होकर श्मशान पर आने जाने हेतु जबरन नवीन रास्ता कायम करने पर आमदा है एवं आये दिन लडाई झगडा करने पर उतारू है जिससे प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की भूमि की तार फेसिंग को तोडकर यदि बलपूर्वक रास्ता कायम किया गया तो वादीगण की फसल खराब होगी और अपूरनीय क्षति कारित होगी। प्रतिवादी सं. 11 पेरोकार सरकार द्वारा भी सरकारी रास्ते की पैमाईश किये बिना प्रतिवादीगण के प्रभाव में आकर जबरन वादीगण को धारा 91 एल.आर.एक्ट के अधीन बेदखल किये जाने की धमकी दी जा रही है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जावे कि – वे वादीगण की भूमि की तार फेसिंग को तोडकर जबरन रास्ता कायम नहीं करें। माननीय न्यायालय से यह भी निवेदन है कि धारा 209 आ.टी.एक्ट में निहित शक्तियों का उपयोग कर न्यायहित में सरकारी रास्ते के सीमाज्ञान के आदेश भी फरमाये जावे।

5. अभिभाषक वादीगण द्वारा आगे तर्क किया गया कि प्रतिवादी सं. 1 से 10 का बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं होना इस तथ्य को साबित करता है कि प्रतिवादीगण अतिक्रमी है और उनके पास न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु कोई साक्ष्य/जवाब नहीं है।

6. अभिभाषक वादीगण की बहस एकतरफा के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम कादर नगर की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 251 रकबा 0.2276 है. व ख.नं. 534/251 रकबा 0.6703 है. ... सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:54:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला [illegible] (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

2075—78 प्रदर्श 1 व 2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड कृषक है। वादीगण द्वारा पेश ग्राम कादर नगर की जमाबंदी सं. 2075—78 प्रदर्श 5 के अनुसार ख.नं. 627/251 रकबा 0.1770 है. गे.मु.रास्ता है और खाता सरकार दर्ज है। वादी द्वारा पेश ग्राम कादर नगर के खसरा नक्शा प्रदर्श 6 के अवलोकन से जाहिर है कि सरकारी रास्ते ख.नं. 627/251 के पूर्व में लगवा प्रतिवादीगण की भूमि एवं पश्चिम में लगवा वादीगण की भूमि स्थित है। दोनो की भूमियों के मध्य यह सरकारी रास्ता है। वादीगण द्वारा पेश गवाहान पीडब्ल्यू 1 से 3 ने सशपथ कथन किया है कि वादीगण द्वारा अपनी भूमि ख.नं. 251 व 534/251 की पूर्व में पैमाईश कराकर ही रास्ते की तरफ तार खम्बे लगाये है। गे.मु.सरकारी रास्ता भूमि ख.नं. 627/251 जो शमशान की भूमि पर जाता है, हमेशा से लगभग 15—20 फीट चौडा रहा है। प्रतिवादीगण उक्त रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर रास्ते की भूमि को अपने खेतो में मिला लिया है और अब प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि होकर जबरन रास्ता निकालना चाहते है। **पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि वादीगण द्वारा देसी कोई सीमाज्ञान रिपोर्ट पेश नहीं की है।**

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तथ्य निर्विवादित है कि वादीगण वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड सहखातेदार कृषक है और कब्जा काश्तरत है जिस पर प्रतिवादी सं. 1 से 10 बलपूर्वक अवैध रूप से (without lawful authority) रास्ता कायम करने पर आमदा होना जाहिर होता है। अतः प्रतिवादी सं. 1 से 10 अतिक्रमी है। प्रतिवादीगण के जबरन रास्ता कायम करने से वादीगण की फसल व भूमि दोनो खराब होना साबित है जिसकी क्षतिपूर्ति अपूरनीय होना संभावित है। प्रतिवादीगण को वादीगण के खाते व कब्जे की आराजी से होकर जबरन रास्ता कायम करने से स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद नहीं किये जाने पर **पक्षकारो के मध्य लडाई झगडा एवं वाद बहुलता भी बढेगी।** प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से यह तथ्य जाहिर होता है कि प्रतिवादीगण अतिक्रमी है और उनके पास न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु कोई सा[illegible] नहीं और वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया [illegible] दखल नहीं [illegible] हेतु स्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:54:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने योग्य है। यहां धारा 188 आर.टी.एक्ट का प्रावधानों का अवलोकन करना उचित होगा–

188. Injunction against wrongful ejectment—

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction. (2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely- (a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion; (b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief; (c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings

8. वादीगण एक ओर कथन करता है कि उसने अपनी भूमि का सीमाज्ञान कराने के बाद ही तार खम्बे लगाये है और दूसरी ओर रास्ते की भूमि ख.नं. 627/251 पर कब्जे के कारण तहसीलदार द्वारा धारा 91 एल.आर.एक्ट के अधीन बेदखली की कार्यवाही करने की धमकी देने का भी कथन किया है। हस्तगत प्रकरण में मूल प्रश्न सरकारी रास्ते ख.नं. 627/251 पर अवैध कब्जा कर अपनी भूमि में मिलाने का है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उक्त सरकारी रास्ते पर कब्जा करना साबित होता है लेकिन राजस्व विभाग की कोई सीमाज्ञान रिपोर्ट पत्रावली पर पेश नहीं की गई है। उक्त सरकारी रास्ते का राजस्व टीम द्वारा विधिक रूप से सीमाज्ञान किये जाने से वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य समस्या का प्रभावी एवं निष्पक्ष निस्तारण किया जा सकता है। अतः धारा 209 आर.टी.एक्ट के अधीन यह निर्णय सरकारी रास्ता ख.नं. 627/251 का राजस्व टीम द्वारा सीमाज्ञान करवाया जाकर रास्ते को, यदि किसी पक्ष का अतिक्रमण [illegible] अतिक्रमण मुक्त कराये जाने का अतिरिक्त अनुतोष प्रदान करना न्यायोचित स[illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:54:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

209. Granting any relief to which plaintiff is entitled— In any suit or proceeding, the court may, on the application of the plaintiff and after framing the necessary issues, grant any relief which the court is competent to grant and to which it may find the plaintiff entitled, notwithstanding that such relief may not have been asked for in the plaint or application Provided that, after framing such issues, the court shall, on the request of either party, grant reasonable time or the production of evidence.

9. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम कादर नगर की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 251 रकबा 0.2276 है. व ख.नं. 534/251 रकबा 0.6703 है. आराजी के संबंध में वादीगण का वाद धारा 188, 209 आर.टी.एक्ट न्यायहित में स्वीकार करने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विष्लेषण के आधार पर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 से 10 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबंद किया जाता है किं वे ग्राम कादर नगर की वादीगण की शामलाती आराजी ख.नं. 251 रकबा 0.2276 है. व ख.नं. 534/251 रकबा 0.6703 है. में होकर न तो नवीन रास्ता कायम करें और न ही बेजामजाहमत करें। तहसीलदार सुनेल को आदेश दिये जाते है नायब तहसीलदार की उपस्थिति में राजस्व कार्मिको की टीम से सरकारी रास्ता ख.नं. 627/251 का सात दिवस में सीमाज्ञान कराना सुनिश्चित करें और उक्त रास्ते किसी पक्ष का अतिक्रमण पाये जाने पर ग्राम पंचायत के सहयोग से तुरन्त हटाना सुनिश्चित करें।

यह निर्णय आज दिनांक 23.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:54:49 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड राज0

पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

डिक्री मुकदमा इबादाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारी:–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 166 / 2022

दायर दिनांक: 26.12.2022

उनवान

1. कैलाशचन्द पि. रामसिंह जाति धाकड़ नि. कादरनगर तहसील सुनेल
2. घनश्याम पि. रामसिंह जाति धाकड नि. कादरनगर तहसील सुनेल
3. तेजराम पि. रामसिंह जाति धाकड़ नि. कादरनगर तहसील सुनेल
4. पप्पूलाल पि. रामसिंह जाति धाकड़ नि. कादरनगर तहसील सुनेल

– वादीगण

बनाम

1. राजाराम पि. गोवरधनलाल जाति धाकड़ नि. कादरनगर तहसील सुनेल
2. गोपाल पि. गोवरधनलाल जाति धाकड़ नि. कादरनगर तहसील सुनेल
3. तूफानसिंह पि. गोवरधनलाल जाति धाकड़ नि. कादरनगर तहसील सुनेल
4. झमकूबाई पुत्री गोवरधनलाल जाति धाकड़ नि. कादरनगर तहसील सुनेल
5. कन्याबाई पुत्री गोरधनलाल जाति धाकड नि. कादरनगर तहसील सुनेल
6. गंगाबाई पत्नी गोरधनलाल जाति धाकड़ नि. कादरनगर तहसील सुनेल
7. शान्तिबाई पुत्री भेरूलाल जाति धाकड़ नि. कादरनगर तहसील सुनेल
8. कनीराम पि. भेरूलाल जाति धाकड नि. कादरनगर तहसील सुनेल
9. पानबाई पत्नी भूणीराम जाति धाकड़ नि. कादरनगर तहसील सुनेल
10. भूणीराम पि. कनीराम जाति धाकड़ नि. कादरनगर तहसील सुनेल
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक –
अभिभापक वादीगण – श्री महेन्द्रसिंह जैन
प्रतिवादी सं. 1 से 10 – एकतरफा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ..... रूबरू .....
मिनजानित मुदई रूबरू .....

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:54:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 से 10 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम कादर नगर की वादीगण की शामलाती आराजी ख.नं. 251 रकबा 0.2276 है. व ख.नं. 534/251 रकबा 0.6703 है. में होकर न तो नवीन रास्ता कायम करें और न ही बेजामजाहमत करें। तहसीलदार सुनेल को आदेश दिये जाते है नायब तहसीलदार की उपस्थिति में राजस्व कार्मिको की टीम से सरकारी रास्ता ख.नं. 627/251 का सात दिवस में सीमाज्ञान कराना सुनिश्चित करें और उक्त रास्ते किसी पक्ष का अतिक्रमण पाये जाने पर ग्राम पंचायत के सहयोग से तुरन्त हटाना सुनिश्चित करें।

23/4/25

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

निज ....X..................... मुबालिक ....X............... बावत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बपारंह .....X..फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X....... .... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 23.04.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	वावत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बावत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:54:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner